

## अल्पकालीन नामांकन सूचना

अति पिछड़ा वर्ग के छात्रों के लिए शेखपुरा जिला न्तर्गत संचालित जननायक कपूरी ठाकुर कल्याण छात्रावास, शेखपुरा में शैक्षणिक सत्र 2026-27 में नामांकन के लिए रिक्त स्थानों की विवरण निम्नवत् है:-

| क्र० सं० | छात्रावास का नाम                              | कोटि            | रिक्ति/सम्भावित रिक्ति |
|----------|-----------------------------------------------|-----------------|------------------------|
| 1        | जननायक कपूरी ठाकुर कल्याण छात्रावास, शेखपुरा। | अति पिछड़ा वर्ग | 19                     |

➤ नामांकन हेतु आवेदन पत्र ऑनलाईन पोर्टल (<https://bcebconline.bihar.gov.in/cay/Default.aspx>) के माध्यम से किया जाना है जिसकी समय सारणी निम्न प्रकार है:-

| क्र० सं० | तारीख                       | रिक्ति/सम्भावित रिक्ति                                      |
|----------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 1        | 23.07.2026 से 20.08.2026 तक | छात्रों द्वारा ऑनलाईन आवेदन करने के लिए फार्म उपलब्ध रहेगा। |

### नामांकन की शर्तें:-

1. आवेदक अति पिछड़ा वर्ग का छात्र हो।
2. आवेदक बिहार राज्य का मूल निवासी हो।
3. आवेदक शेखपुरा स्थित किसी भी सरकारी/मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान में नामांकित हो।
4. अहर्ता प्राप्त आवेदकों में उच्च प्राप्तांक वाले छात्रों को प्राथमिकता दी जायेगी।
5. 5% सीटे दिव्यांग छात्रों के लिए आरक्षित है।

### नामांकन की शर्तें:-

1. आवेदक की जन्म तिथि के साथ मैट्रिक या समकक्ष प्रमाण-पत्र।
2. 10वीं की मार्कशीट।
3. अंतिम उत्तीर्ण परीक्षा की मार्कशीट।
4. आधार कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र एवं आवासीय प्रमाण पत्र।
5. स्कूल/कॉलेज/विश्वविद्यालय/संस्थान में प्रवेश का प्रमाण पत्र जहाँ छात्र पढ़ रहा है।
6. छात्रावास में प्रवेश हेतु प्रधानाचार्य/प्रमुख से अनुशंसा पत्र/विहित प्रपत्र में Forwarding Letter
7. बैंक का नाम, खाते में आवेदक का नाम, खाता संख्या एवं IFSC Code
8. आवेदक का पासपोर्ट साईज फोटो एवं हस्ताक्षर।
9. माता/पिता/अभिभावक द्वारा विहित प्रपत्र में हस्ताक्षरित शपथ पत्र।
10. आवेदक से मिलने वाले आगंतुक का पासपोर्ट साईज फोटो।

नोट:- विशेष जानकारी के लिए संबंधित छात्रावास समन्वयक-सह-अधीक्षक (श्री अमरेन्द्र कृष्ण कुमार मो०-8544510596) एवं जिला पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण कार्यालय, शेखपुरा से प्रत्येक कार्य दिवस को 11:00 बजे पूर्वा० से 05:00 बजे अपराहन तक सम्पर्क कर सकते हैं।

  
जिला पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग  
कल्याण पदाधिकारी,  
शेखपुरा।

  
उप विकास आयुक्त,  
शेखपुरा।

  
जिला पदाधिकारी,  
शेखपुरा।